न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 167/2020/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़
दायरा दिनांकः 17.09.2020
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

घनश्याम आत्मज काशीदास, जाति बैरागी निवासी गिन्दौर, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़

...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर, जिला झालावाड़
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री शैलेन्द्र कुमार पोसवाल अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 27.02.2025

अपीलांट ने न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 15/अपील/19 बउनवान घनश्याम बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, झालरापाटन द्वारा प्रकरण संख्या 13/2019 में निर्णय दिनांक 28.08.2019 से धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम गिन्दोर, तहसील झालरापाटन की आराजी खसरा संख्या 33 रकबा 1.10 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमण करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर 15 दिवस की सिविल कारावास की सजा एवं 1000/– रूपये शास्ति से दण्डित किये ज़ाने के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, झालवांड़ के यहां अपीलांट द्वारा अपील पेश कर तहसीलदार, झालरापाटन का निर्णय दिनांक 28.08.2019 निरस्त करने का अनुरोध किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 18.11.2019 से खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालयों ने ग्राम गिन्दोर, तहसील झालरापाटन की आराजी खसरा संख्या 33 रकबा 1.10 बीघा किस्म चारागाह पर अपीलांट का कब्जा बताया है, वह केवल अन्दाजन एवं

अति. सं. आयुक्त
कोटा

वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं है। उक्त खसरा सं0 33 का रकबा कितना है और भौतिक दृष्टि से इसी चतुरसीमा मौके पर कितनी है किस दिशा में है तथा पूरा टुकडा या पूरा खसरा नम्बर वर्तमान स्थिति में क्या है, किनका कब्जा है। उक्त खसरा नम्बर के आस–पास कोई बाउंड्रीवाल या बोर्ड प्रशासन के द्वारा चस्पा नहीं कर रखा कि यह सरकारी जमीन है। अपीलांट का ना तो पूर्व में ना वर्तमान में कोई कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट के द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया हुआ है, सिर्फ आने–जाने के लिए रास्ता है और अपनी खेती बचाने के लिए पत्थरों की कोट हो रही है। अपीलांट गरीब व्यक्ति है तथा उसने उक्त आराजी पर से कब्जा छोड दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ का निर्णय दिनांक 18.11.2019 एवं न्यायालय तहसीलदार, झालरापाटन का निर्णय दिनांक 28.08.2019 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में कथन किया कि अपीलांट का ना तो पूर्व में ना वर्तमान में कोई कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट के द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया हुआ है, सिर्फ आने–जाने के लिए रास्ता है और अपनी खेती बचाने के लिए पत्थरों की कोट हो रही है। अपीलांट गरीब व्यक्ति है तथा उसने उक्त आराजी पर से कब्जा छोड दिया है। अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा ग्राम गिन्दोर, तहसील झालरापाटन की आराजी खसरा संख्या 33 रकबा 1.10 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमण करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर 15 दिवस की सिविल कारावास की सजा एवं 1000/– रूपये शास्ति से दण्डित किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ ने अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर परीक्षणोपरांत जेरअपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 प्रस्तुत अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, झालरापाटन द्वारा प्रकरण संख्या 19/2019 में निर्णय दिनांक 28.08.2019 से धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम गिन्दोर, तहसील झालरापाटन की आराजी खसरा संख्या 33 रकबा 1.10 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमण करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर 15 दिवस की सिविल कारावास की सजा एवं 1000/– रूपये शास्ति से दण्डित किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 18.11.2019 से खारिज की गई। हस्तगत अपील प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलांट का ना तो पूर्व

में ना वर्तमान में कोई कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट के द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया हुआ है, सिर्फ आने–जाने के लिए रास्ता है और अपनी खेती बचाने के लिए पत्थरों की कोट हो रही है। अपीलांट गरीब व्यक्ति है तथा उसने उक्त आराजी पर से कब्जा छोड दिया है। अपीलांट के उपरोक्त तर्कों के संबंध में अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि तहसीलदार, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ से प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 19.02.2025 अनुसार खसरा सं0 33 किस्म चारागाह रकबा 1.7703 पर वर्तमान में अतिक्रमी घनश्याम बैरागी द्वारा अतिक्रमण नहीं होना पाया गया है। अतः तहसीलदार झालरापाटन से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 08/आरसीएनटी/2025 दिनांक 19.02.2025 पर विचार करते हुए सहज न्याय के दृष्टिगत न्यायहित में अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ का निर्णय दिनांक 18.11.2019 अपास्त किया जाता है एवं अपीलांट को विचारण न्यायालय तहसीलदार, झालरापाटन द्वारा पारित 15 दिवस की सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलार्थी स्वयं इस आशय की पालना रिपोर्ट मय शपथ–पत्र तहसीलदार झालरापाटन के समक्ष पेश करेगा कि उसके द्वारा अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में स्वयं अथवा परिवार का कोई सदस्य राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। यदि अपीलांट उक्त पालना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा व जुर्माना/तावान राशि तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रहेगा। उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण न्यायालय तहसीलदार झालरापाटन को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

27/2/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा